

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 41]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 11 अक्टूबर 2013—आश्विन 19, शक 1935

## भाग ४

विषय-सूची

- |                            |                               |                                  |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| (क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, | (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, | (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक. |
| (ख) (1) अध्यादेश,          | (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,       | (3) संसद के अधिनियम.             |
| (ग) (1) प्रारूप नियम,      | (2) अन्तिम नियम.              |                                  |

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अन्तिम नियम

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2013

क्र. एफ-2-10-2011-1-चौतीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग अराजपत्रित सेवा (सेवा की शर्तें तथा भरती) नियम, 1976 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियम में,

1. नियम 8 में,—

(1) उप-नियम (1) में, खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किए जाएं, अर्थात् :—

- (क) उसने चयन प्रारम्भ होने की तारीख के ठीक आगामी जनवरी के प्रथम दिन को अनुसूची तीन के कालम (3) में यथाविनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो, किन्तु उक्त अनुसूची के कालम (4) में यथाविनिर्दिष्ट आयु पूर्ण न की हो;

- (ख) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी के लिए उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;
- (ग) उस अभ्यर्थी के संबंध में जो मध्यप्रदेश सरकार का कर्मचारी है या कर्मचारी रह चुका है, उच्चतर आयु सीमा नीचे विनिर्दिष्ट की गई शर्तों तथा सीमा के अध्याधीन रहते हुए शिथिलनीय होगी :—
- (एक) ऐसा अभ्यर्थी जो अस्थायी या स्थायी शासकीय सेवक है 45 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए, यह रियायत आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों और परियोजना कार्यान्वयन समिति में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी;
- (दो) ऐसा अभ्यर्थी को, जो छंटनी किया गया सरकार सेवक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा की अधिकतम 7 वर्ष की सीमा तक की कालावधि भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, बशर्ते कि इसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो.

**स्पष्टीकरण :** पद “छंटनी किया गया सरकारी सेवक” से द्योतक है ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की सरकारी सेवा में अथवा किन्हीं संघटक इकाइयों की अस्थायी सरकारी सेवा में कम से कम छह मास की कालावधि तक निरन्तर रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना रजिस्ट्रीकरण कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्ण स्थापना में कमी किए जाने के कारण सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो.”

- (2) खण्ड (च) के उप-खण्ड (तीन) के पश्चात्, निम्नलिखित टिप्पणी अन्तःस्थापित की जाए, अर्थात् :—

“**टिप्पणी :** (1) समस्त छूट को सम्मिलित करते हुए किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी.

(2) अधिकतम आयु सीमा की गणना सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी-03-11-12-1-3, दिनांक 3 नवम्बर 2012 तथा 20 नवम्बर 2000 के अनुसार की जाएगी.”

2. विद्यमान अनुसूची तीन के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची स्थापित की जाए, अर्थात् :—

विभाग का नाम	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हता	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	उपयंत्री (सिविल)	18 वर्ष	40 वर्ष	राज्य शासन द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्था से सिविल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा.	—
	उपयंत्री (वि./यां.)	18 वर्ष	40 वर्ष	राज्य शासन द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्था से मैकेनिकल/ इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा.	
	स्टेनोग्राफिस्ट	18 वर्ष	40 वर्ष	हायर सेकेण्डरी, (10+2) प्रणाली से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण तथा मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन बोर्ड से मुद्रलेखन का प्रमाण-पत्र तथा मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन बोर्ड, आई.टी.आई. या किसी अन्य मान्यताप्राप्त संस्था से हिन्दी शीघ्रलेखन परीक्षा 80 शब्द प्रतिमिनिट की गति से उत्तीर्ण करने का प्रमाण-पत्र तथा	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				निम्नलिखित में से किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण,—	
				(1) यूजीसी द्वारा मान्यताप्राप्त समस्त विश्वविद्यालयों से डिप्लोमा.	
				(2) यूजीसी द्वारा मान्यताप्राप्त समस्त मुक्त विश्वविद्यालयों से डिप्लोमा.	
				(3) डी ओ ई ए सी सी से डिप्लोमा लेवल परीक्षा	
				(4) शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय से माडर्न ऑफिस मैनेजमेंट पाठ्यक्रम.	
सहायक ग्रेड-तीन	18 वर्ष	40 वर्ष	हायर सेकेण्डरी, (10+2) प्रणाली से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण तथा मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन बोर्ड से मुद्रलेखन उत्तीर्ण करने का प्रमाण-पत्र तथा निम्नलिखित में से किसी मान्यताप्राप्त संस्था से कम्प्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण,—		
				(1) यूजीसी द्वारा मान्यताप्राप्त समस्त विश्वविद्यालयों से डिप्लोमा.	
				(2) यूजीसी द्वारा मान्यताप्राप्त समस्त मुक्त विश्वविद्यालयों से डिप्लोमा.	
				(3) डी ओ ई ए सी सी से डिप्लोमा लेवल परीक्षा	
				(4) शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय से माडर्न ऑफिस मैनेजमेंट पाठ्यक्रम.	
<b>तृतीय श्रेणी तथा अन्य</b>					
रसायनज्ञ	18 वर्ष	40 वर्ष	बी.एस.सी. (रसायन शास्त्र के साथ एक विषय के रूप में) वाटर सीवेज तथा इण्डस्ट्रियल वेस्ट परीक्षण का अनुभव प्राप्त उम्मीदवारों को अधिमानता दी जाएगी.		
सहायक रसायनज्ञ	18 वर्ष	40 वर्ष	(10+2) पद्धति से हायर सेकेण्डरी परीक्षा रसायन शास्त्र के साथ एक विषय के रूप में उत्तीर्ण.		
प्रयोगशाला सहायक	18 वर्ष	40 वर्ष	(10+2) पद्धति से हायर सेकेण्डरी परीक्षा रसायन शास्त्र के साथ एक विषय के रूप में उत्तीर्ण.		
मैकेनिक	18 वर्ष	40 वर्ष	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से फिटर/ मैकेनिक/ डीजल मैकेनिक/ मोटर मैकेनिक मशीनिष्ट ट्रेड में उत्तीर्ण होने का प्रमाण-पत्र.		
इलेक्ट्रीशियन	18 वर्ष	40 वर्ष	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से इलेक्ट्रीशियन/ वॉयरमेन ट्रेड में ट्रेड प्रमाण-पत्र.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
इलेक्ट्रीशियन/वायरमेन	18 वर्ष	40 वर्ष	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से इलेक्ट्रीशियन/वायरमेन ट्रेड में ट्रेड प्रमाण-पत्र.		
फिटर	18 वर्ष	40 वर्ष	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से फिटर ट्रेड में प्रमाण-पत्र.		
फिल्टर इंस्पेक्टर/रसायनज्ञ	18 वर्ष	40 वर्ष	बी.एस.सी. रसायनशास्त्र तथा प्राणी विज्ञान के साथ प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण.		
शिफ्ट चालक	18 वर्ष	40 वर्ष	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से मैकेनिक ट्रेड में ट्रेड प्रमाण-पत्र.		
सहायक मानचित्रकार	18 वर्ष	40 वर्ष	राज्य शासन द्वारा मान्यताप्राप्त संस्था से चित्रकार अधिदर्शक, उप-अधिदर्शक पाठ्यक्रम या वास्तुकला में डिप्लोमा या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से ड्राफ्टमेन ट्रेड में प्रमाण-पत्र.		
अनुरेखक	18 वर्ष	40 वर्ष	(10+2) पद्धति से हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण तथा प्रारंभिक एवं माध्यमिक ड्राइंग परीक्षा उत्तीर्ण.		

### तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय

शीघ्रलेखक	18 वर्ष	40 वर्ष	(10+2) पद्धति से हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण एवं मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन बोर्ड से मुद्रलेखन का प्रमाण-पत्र तथा निम्नलिखित मान्यताप्राप्त संस्था से कम्प्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण-पत्र,— (1) यूजीसी द्वारा मान्यताप्राप्त समस्त विश्वविद्यालयों से डिप्लोमा. (2) यूजीसी द्वारा मान्यताप्राप्त समस्त मुक्त विश्वविद्यालयों से डिप्लोमा. (3) डी ओ ई ए सी से डिप्लोमा लेवल परीक्षा (4) शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय से माडर्न ऑफिस मैनेजमेंट पाठ्यक्रम.
हैण्डपम्प तकनीशियन	18 वर्ष	40 वर्ष	(10+2) पद्धति से हायर सेकेण्डरी 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से फिटर/ मैकेनिक/ मशीनिष्ट / टूल एण्ड डाय मेकर/ टर्नर ट्रेड में 2 वर्षीय पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होने का प्रमाण-पत्र.
प्लम्बर	18 वर्ष	40 वर्ष	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से प्लम्बर ट्रेड में प्रमाण-पत्र.
पाईप फिटर	18 वर्ष	40 वर्ष	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से फिटर ट्रेड में प्रमाण-पत्र.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	शिफ्ट फिटर	18 वर्ष	40 वर्ष	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से फिटर ट्रेड में प्रमाण-पत्र.	
	पम्प अटेन्डेन्ट	18 वर्ष	40 वर्ष	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से मैकेनिक ट्रेड में प्रमाण-पत्र.	
	फिल्टर अटेन्डेन्ट	18 वर्ष	40 वर्ष	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से मैकेनिक ट्रेड में प्रमाण-पत्र.	
	फिल्टर आपरेटर	18 वर्ष	40 वर्ष	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से मैकेनिक ट्रेड में प्रमाण-पत्र.	
	वेल्डर	18 वर्ष	40 वर्ष	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से वेल्डर ट्रेड में प्रमाण-पत्र.	
	एयर कम्प्रेसर ड्रायवर	18 वर्ष	40 वर्ष	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से मशिनिष्ट ट्रेड में प्रमाण-पत्र.	

No. F-2-10-2011-1-XXXIV.,—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Public Health Engineering Department Non-Gazetted Service (Conditions of Service and Recruitment) Rules, 1976, namely:—

#### AMENDMENTS

In the said rules,

1. in rule 8,—

(1) in sub rule (1), for clause (a), (b) and (c), the following clauses shall be substituted, namely:—

- “(a) He must have attained the age as specified in column (3) of Schedule III and have not attained the age as specified in column (4) of the said Schedule, on the first day of January next following the date of commencement of the selection;
- (b) The upper age limit shall be relaxable up to a maximum 5 years if a candidate belongs to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes;
- (c) The upper age limit shall also be relaxable in respect of a candidate who is or has been an employee of Madhya Pradesh Government to the extent and subject to the conditions specified below:—
- (i) A candidate who is a temporary or permanent Government servant should not be more than 45 years of age. This concession shall also be admissible to work charged employees and contingency paid employee and employees working in the Project Implementation Committee;
- (ii) A candidate who is a retrenched Government servant shall be allowed to deduct from his age the period of all temporary service previously rendered by him up to a maximum limit of 7 years, even if it represents more than one spell, provided that the resultant age does not exceed the upper age limit more than 3 years.

**Explanation :** The term “retrenched Government servant” denotes a person who was in temporary Government service of this State or if any of the constituent units, for a continuous period of not less than six months and who was discharged because of reduction in establishment not more than three years prior to the date of his registration at the employment exchange or of application made otherwise for employment in Government Service.”.

(2) after sub-clause (iii) of clause (f), the following note shall be inserted, namely :—

“**Note :** (1) In any condition maximum age limit will not exceed 45 years including all the relaxations.

(2) Calculation of maximum age limit shall be done as per the General Administrative Department Circular No. C-03-11-12-1-3, dated 3 November 2012 and 20 November 2000.”.

2. For the existing Schedule-III, the following Schedule shall be substituted, namely :—

“**SCHEDULE—III**  
(See rule 8)

Name of Department (1)	Name of Post (2)	Minimum Age Limit (3)	Maximum Age Limit (4)	Prescribed Educational Qualification (5)	Remark (6)
Public Health Engineering Department	Sub-Engineer (Civil)	18 years	40 years	Three years Diploma in Civil Engineering from an Institution recognized by the State Government.	—
	Sub-Engineer (E & M)	18 years	40 years	Three years Diploma in Mechanical/ Electrical Engineering from an Institution recognized by the State Government.	—
	Steno typist	18 years	40 years	Passed Higher Secondary, 12th class (10+2) pattern examination and a certificate of Typing from the Madhya Pradesh Board of Shorthand and Typewriting and a certificate of passing Hindi Shorthand Examination with a speed of 80 words per minute from Madhya Pradesh Board of Shorthand and Typewriting Institute, I.T.I. or any other recognized Institute and Passed the Computer Examination from any of the following recognized Institute,—	—
				(1) Diploma from all Universities recognized by UGC.	
				(2) Diploma from all open Universities recognized by UGC.	
				(3) Diploma level examination from DOAEACC.	
				(4) Modern Office Management Course from Government Polytechnic College.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Assistant Grade-III	18 years	40 years	Passed Higher Secondary, 12th class (10+2) pattern examination and a certificate of Passing Typing from the Madhya Pradesh Board of Shorthand and Typewriting and Passed the Computer Examination from any of the following recognized Institute,—	
				(1) Diploma from all Universities recognized by UGC.	
				(2) Diploma from all open Universities recognized by UGC.	
				(3) Diploma level examination from DOAEACC.	
				(4) Modern Office Management Course from Government Polytechnic College.	

**Class—III and Others**

	Chemist	18 years	40 years	B.Sc. (with Chemistry as a subject) preference will be given to the candidate having experience of water sewage and industrial waste testing.	
	Assistant Chemist	18 years	40 years	Must have passed Higher Secondary 10+2 pattern with Chemistry as one of the subjects.	
	Lab Assistant	18 years	40 years	Must have passed Higher Secondary 10+2 pattern with Chemistry as one of the subjects.	
	Mechanic	18 years	40 years	Certificate or Passing in fitter / Mechanic / Diesel Mechanic / Motor Mechanic / Machinist trade from Industrial Training Institute.	
	Electrician	18 years	40 years	A Trade Certificate in Electrician / Wireman Trade from Industrial Training Institute.	
	Electrician / Wireman	18 years	40 years	A Trade Certificate in Electrician / Wireman Trade from Industrial Training Institute.	
	Fitter	18 years	40 years	A Certificate in fitter trade from Industrial Training Institute.	
	Filter Inspector/ Chemist	18 years	40 years	B.Sc. with Chemistry and Zoology Passed with First Division.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Shift Driver	18 years	40 years	Trade Certificate in Mechanic trade from Industrial Training Institute.	
	Assistant Draftsman	18 years	40 years	Diploma in Drawing, Overseer, Sub-Overseer course from any Institute recognized by the State Government or Diploma in Architect or Draftsmanship Trade Certificate from Industrial Training Institute.	
	Tracer	18 years	40 years	Passed Higher Secondary 10+2 pattern passed and elementary and Secondary drawing examination passed.	

**Class—III Ministerial**

	Stenographer	18 years	40 years	Higher Secondary 10+2 pattern examination passed and Certificate of Shorthand and Typing from the Madhya Pradesh Board of Shorthand and Typewriting and Passed the Computer Examination from any of the following recognized Institute,—  (1) Diploma from all Universities recognized by UGC. (2) Diploma from all open Universities recognized by UGC. (3) Diploma level examination from DOAEACC. (4) Modern Office Management Course from Government Polytechnic College.	
	Hand Pump Technician	18 years	40 years	Passed Higher Secondary 12th Class (10+2) pattern examination, Certificate of Passing two years course in Fitter / Mechanic / Machinist Tool and Die maker / Turner trade from Industrial Training Institute.	
	Plumber	18 years	40 years	A Certificate of Plumber Trade from Industrial Training Institute.	
	Pipe Fitter	18 years	40 years	Trade Certificate of Fitter Trade from Industrial Training Institute.	
	Shift Fitter	18 years	40 years	Trade Certificate of Fitter Trade from Industrial Training Institute.	
	Pump Attendant	18 years	40 years	Trade Certificate of Instrument Mechanic from Industrial Training Institute.	



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Filter Attendant	18 years	40 years	Trade Certificate of Instrument Mechanic from Industrial Training Institute.	
	Filter Operator	18 years	40 years	Trade Certificate of Instrument Mechanic from Industrial Training Institute.	
	Welder	18 years	40 years	Trade Certificate in Welder Trade from Industrial Training Institute.	
	Air Compressor Driver	18 years	40 years	Trade Certificate in Machinist Trade from Industrial Training Institute."	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
पी. के. ठाकुर, उपसचिव.

### गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 4 अक्टूबर 2013

एफ 01-03-2013-दो-ए(3).—राज्य शासन द्वारा भोपाल स्थित शासकीय आवास आवंटन नियम, 2000 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं, अर्थात् :—

#### संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. अध्याय—एक सामान्य के नियम-2 परिभाषाएं (12) के स्थान पर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—  
“दाण्डिक दर से अभिप्रेत है आवास किराए की वह दर जो राज्य शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाए.”
2. अध्याय—दो सामान्य पूल के आवास के नियम 5(1) के स्थान पर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—  
“सामान्य पूल से मध्यप्रदेश शासन के सीधे नियंत्रण के अधीन कार्यरत नियमित सेवा के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवास आवंटन की पात्रता होगी.”

**स्पष्टीकरण.**—सामान्य पूल से तदर्थ, दैनिक वेतनभोगी, कंटीजेन्सी तथा कार्यभारित कर्मचारियों को आवास आवंटन की पात्रता नहीं होगी.

3. अध्याय—दो सामान्य पूल के आवास के नियम 6(2) के स्थान पर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—  
“शासकीय सेवकों / पदाधिकारियों को ‘बी’, ‘सी’, ‘डी’ एवं ‘ई’ श्रेणी के आवासों का आवंटन निम्न सदस्यों की आवास आवंटन समिति द्वारा किया जाएगा :—

1. अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग. अध्यक्ष
2. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग. सदस्य
3. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह (सामान्य) विभाग. सदस्य-सचिव

समिति आवेदक अधिकारियों की वरिष्ठता, दायित्व, कर्तव्यों की प्रकृति, सेवा के अधिकारियों की स्थानान्तरणीयता तथा अन्य सुसंगत पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आवास आवंटन करेगी :

परन्तु समिति के लिए आवंटन के संबंध में कोई कारण अभिलिखित करना आवश्यक नहीं होगा।”

4. अध्याय—दो सामान्य पूल के आवास के नियम 7(3) के स्थान पर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—
 

“कैंसर, गुर्दा प्रत्यारोपण/डायलेसिस एवं हृदय रोग (एंजियोप्लास्टी/वायपास सर्जरी) से ग्रसित राज्य शासन के अधिकारी/कर्मचारी को आवास आवंटन—राज्य शासन के ऐसे कर्मचारी, जिन्हें कैंसर (विषाणु उत्तक वृद्धि), गुर्दा प्रत्यारोपण/डायलेसिस एवं हृदय रोग (एंजियोप्लास्टी/वायपास सर्जरी) हो को पात्रता के आधार पर शासकीय आवास का आवंटन संचालक, संपदा संचालनालय द्वारा किया जाएगा.

ऐसे शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए 2% (दो प्रतिशत) एक आवंटन वर्ष का कोटा रहेगा. इस श्रेणी में आवेदन करते समय संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं द्वारा उक्त बीमारी से ग्रसित होने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा.

शासकीय सेवक की पत्नी/पति अथवा अवयस्क पुत्र/पुत्री के उक्त रोग से पीड़ित होने पर भी उक्तानुसार प्राथमिकता दी जाएगी.”
5. अध्याय—दो सामान्य पूल के आवास के नियम 9 के स्थान पर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—
 

“राज्य शासन एक कैलेण्डर वर्ष में रिक्त होने वाले सामान्य पूल के प्रत्येक श्रेणी के शासकीय आवासों की संख्या के 8% प्रतिशत तक रिक्त आवासों को विवेकाधीन कोटे के अंतर्गत निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार आवंटित कर सकेगा :—

  - (1) मानवीय आधार पर, (2) विशिष्ट एवं अतिविशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा आदि कारणों से, (3) विभिन्न सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों अथवा विधाओं में उत्कृष्ट कार्य के आधार पर.”
6. अध्याय—दो सामान्य पूल के आवास के नियम 10(9) के स्थान पर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—
 

“(9) (क) इस नियम के अन्तर्गत सामाजिक/राजनैतिक संस्थाओं को आवंटित आवासगृह का लायसेंस शुल्क शासन द्वारा समय-समय पर अधिसूचित दर से देय होगा. प्रतिष्ठित एवं गणमान्य व्यक्तियों तथा ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को आवंटित आवासगृह का लायसेंस शुल्क शासन द्वारा समय-समय पर अधिसूचित दर से देय होगा.”
7. अध्याय—दो सामान्य पूल के आवास के नियम 10 के बाद निम्नानुसार अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—
 

“10 (क) मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठनों को आवास आवंटन :—

  - (1) राज्य शासन के द्वारा मान्यताप्राप्त कर्मचारी संघों तथा अखिल भारतीय सेवाओं के एसोसियेशनों को शासकीय आवासगृह का आवंटन मुख्यमंत्री जी से समन्वय में आदेश प्राप्त कर किया जा सकेगा.
  - (2) ऐसा आवंटन पांच वर्ष के लिये किया जाएगा. उक्त अवधि के बाद पांच-पांच वर्षों की अवधि के लिये समय-समय पर आवंटन का नवीनीकरण मुख्यमंत्रीजी से समन्वय में आदेश प्राप्त कर किया जा सकेगा. नवीनीकरण के आवेदन के साथ पूर्व अवधि के लायसेंस शुल्क के पूर्ण भुगतान संबंधी प्रमाण संलग्न करना आवश्यक होगा.
  - (3) आवासगृह का लायसेंस शुल्क शासन द्वारा समय-समय पर अधिसूचित दर से देय होगा.”
8. अध्याय—छः प्रेस पूल के नियम 15(1), (2), (3), (4), (6) एवं (7) के स्थान पर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—
 

“(1) प्रेस पूल के अन्तर्गत ‘ई’ श्रेणी या उससे निम्न श्रेणी के अधिकतम 230 आवास रहेंगे.”

(2) (क) प्रेस पूल के अंतर्गत आवास आवंटन के लिए आवेदन-पत्र आयुक्त/संचालक, जनसंपर्क को प्रस्तुत किया जावेगा, जो अपने मत के साथ आवेदन सचिव, गृह विभाग को अग्रेषित करेंगे.

(ख) प्रेस पूल के शासकीय आवास, उन पत्रकारों को आवंटित किये जा सकेंगे, जिनके स्वयं या परिवार के किसी सदस्य के नाम स्वतंत्र रूप से या संयुक्त रूप से कोई आवास, प्रकोष्ठ भोपाल में स्थित नहीं है :

परन्तु जिन पत्रकारों ने ऐसे आवास, प्रकोष्ठ, जो स्वयं या उनके किसी परिवार के सदस्य के नाम, स्वतंत्र रूप से या संयुक्त रूप से भोपाल नगर निगम / कोलार नगर परिषद् की सीमा में स्थित थे और जिनका हस्तांतरण, आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से पांच वर्ष तक की कालावधि के भीतर किसी अन्य को कर दिया है, उनके आवेदन प्रेस पूल के आवास आवंटन हेतु ग्राह्य नहीं किये जाएंगे.

(3) प्रेस पूल के आवास के लिये उप सचिव, गृह (सामान्य) विभाग द्वारा आयुक्त / संचालक, जनसंपर्क को आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से वरिष्ठता सूची तैयार की जाएगी.

(4) प्रेस पूल के आवासों के आवंटन संबंधी आवेदनों पर नियम-10 के उप नियम (5) के अन्तर्गत गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा विचार किया जाएगा, जिसमें आयुक्त/संचालक, जनसंपर्क समिति के सहयोजित सदस्य के रूप में रहेंगे.

(6) प्रेस पूल के आवासों के आवंटितियों के आवंटित आवास का मासिक लायसेंस शुल्क शासन द्वारा समय-समय पर अधिसूचित दर से लिया जावेगा. यह लायसेंस शुल्क प्रतिमाह 10 तारीख तक देय होगा.

(7) आवंटित आवास की कालावधि पूर्ण होने पर, मासिक लायसेंस शुल्क का भुगतान नहीं करने पर आवंटन की शर्तों का उल्लंघन करने पर, पत्रकार नहीं रहने पर, भोपाल से बाहर स्थानांतरण या मुख्यालय परिवर्तन करने पर अथवा अन्य विधिसंगत कारणों से अपात्र होने पर राज्य शासन द्वारा आवंटन निरस्त किया जा सकेगा एवं आवंटित आवास को रिक्त कराया जाएगा.”

9. अध्याय—सात आवास आवंटन संबंधी अन्य प्रावधान के नियम 17(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) एवं स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“भोपाल से अन्यत्र स्थानांतरित होने, सेवानिवृत्त होने, त्याग-पत्र देने, सेवा से पृथक् होने अथवा अन्य किन्हीं कारणों से आवास रखने के लिये अनधिकृत होने पर अधिकतम छः माह की अवधि के लिये शासकीय सेवक सामान्य दर पर आवास रख सकेगा. इसके उपरान्त दांडिक दर से किराया वसूल किया जाएगा एवं बेदखली की कार्यवाही की जावेगी.”

10. अध्याय—सात आवास आवंटन संबंधी अन्य प्रावधान के नियम 18 के स्थान पर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाए अर्थात् :—

“किसी आवंटित आवास का भोपाल से बाहर स्थानांतरण या पदस्थापना होने पर या मुख्यालय परिवर्तित होने पर छः माह की अवधि के भीतर उसकी पुनःपदस्थापना भोपाल में होती है तो उसके पूर्व आवंटित आवास का पुनः आवंटन उसके द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने पर किया जा सकेगा.”

11. अध्याय—सात आवास आवंटन संबंधी अन्य प्रावधान के नियम 20 (1) के स्थान पर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“सेवानिवृत्त/दिवंगत शासकीय सेवक, जिन्हें शासकीय आवास आवंटित रहा हो, उनकी सेवानिवृत्ति अथवा सेवा में रहते हुए स्वर्गवास होने पर उनको आवंटित आवास अथवा पात्रता के अनुसार किसी अन्य श्रेणी का आवास, उनके निकट संबंधी को, जो राज्य शासन की सेवा में हो, एक आवास आवंटित किया जा सकेगा. यदि सेवानिवृत्त/दिवंगत शासकीय सेवक को “जी” अथवा “एच” श्रेणी का आवास आवंटित रहा है तो उनके निकट संबंधी को, जो शासकीय सेवक हो, सेवानिवृत्त/दिवंगत शासकीय सेवक का ही आवास आवंटित किया जा सकेगा, भले ही ऐसा आवास निकट संबंधी की पात्रता से एक श्रेणी ऊपर का हो. निकट संबंधियों में (क) पति/पत्नी, (ख) पुत्र/पुत्रवधु, (ग) अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा पुत्री, जो सेवानिवृत्त/दिवंगत शासकीय सेवक के साथ निवास कर रही हो, सम्मिलित होंगे.”

12. अध्याय-सात आवास आवंटन संबंधी अन्य प्रावधान के नियम 22, (3)ग के स्थान पर निम्नानुसार प्रतिस्थापित एवं तत्पश्चात् घ निम्नानुसार अंतः स्थापित किया जाए अर्थात् :-

“नियम-22 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और भारत शासन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सामान्य पूल के आवास आवंटन पर प्रतिबंध—

(3) (ग) उपक्रम द्वारा सामान्य पूल का शासकीय आवास, जो ऐसे अधिकारी/कर्मचारी को आवंटित है, जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के कर्मचारी हैं अथवा प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं, निजी आवास सामान्य पूल में उपलब्ध कराने तक, उनका लायसेंस शुल्क राज्य शासन द्वारा समय-समय पर अधिसूचित दर से भुगतान किया जावेगा. संबंधित उपक्रम प्रतिमाह ऐसे आवासों का शासन द्वारा समय-समय पर अधिसूचित दर से लायसेंस शुल्क कोषालय में अथवा संचालक, संपदा संचालनालय के कार्यालय में जमा कराने हेतु उत्तरदायी होंगे अन्यथा आवंटन निरस्त किया जा सकेगा.

(घ) जहां कहीं भी वर्तमान में भारत शासन के अधिकारियों को सामान्य पूल के आवास आवंटित हैं, उन्हें नवीन नियमों के प्रवृत्त होने के 6 माह के बाद की अवधि से शासन द्वारा समय-समय पर अधिसूचित दर से किराया भुगतान करना होगा.”

13. अध्याय-आठ अनधिकृत आधिपत्य एवं बेदखली के नियम 28 (1) के स्थान पर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाए अर्थात् :-

“(1) जब भी किसी शासकीय सेवक का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण किया जाय तो स्थानांतरण आदेश की प्रति संपदा संचालक को आवश्यक रूप से पृष्ठांकित की जाय. यदि किसी शासकीय सेवक के बारे में संपदा संचालक को सूचना प्राप्त हो कि उसका स्थानांतरण हो जाने के बाद आवास धारण करने की अवधि समाप्त होने पर भी शासकीय आवास गृह खाली नहीं किया है तो शासकीय सेवक का ऐसा कृत्य आचरण नियमों के विरुद्ध होगा तथा उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की सिफारिश की जावेगी.”

14. अध्याय-आठ अनधिकृत आधिपत्य एवं बेदखली के नियम 29 (2) के स्थान पर निम्नानुसार प्रतिस्थापित एवं (3) निम्नानुसार अंतःस्थापित किया जाए अर्थात् :-

“(2) अनधिकृत आधिपत्य की अवधि के लिये दंडिक दर से लायसेंस शुल्क वसूल करने की कार्यवाही की जाएगी;

परन्तु यदि राज्य शासन का समाधान हो जाए कि ऐसा करने हेतु पर्याप्त कारण विद्यमान हैं तो वह किसी आवंटिती अथवा आवंटितियों के वर्ग से, ऐसी शर्तों एवं निबंधनों पर जैसा कि वह उचित समझे, अनधिकृत आधिपत्य की अवधि के लिये बाजार दर की दुगुनी राशि/दंडिक दर के स्थान पर आवंटिती को लागू सामान्य लायसेंस शुल्क से अन्यून दर से लायसेंस शुल्क लिये जाने का आदेश दे सकेगा.

(3) अनधिकृत आधिपत्य की अवधि के लिये वसूली योग्य शुल्क की राशि पर दस प्रतिशत वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज भी वसूली योग्य होगा.”

15. अध्याय-दस लायसेंस शुल्क के नियम 41 के स्थान पर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :-

“आवास गृहों के लिये किराए का लेखा जोखा- भोपाल स्थित सामान्य पूल के शासकीय आवास गृहों के किराए कटौत्रे का लेखा जोखा संचालक, संपदा के कार्यालय में रखा जाएगा.”

**टीप.—**वर्तमान नियमों के पृष्ठ-2 नियम-2 (12), पृष्ठ-14 नियम-17 (1), पृष्ठ-17 नियम-19 (3), पृष्ठ-19 नियम-23 (5), पृष्ठ-21 नियम-29 (2), पृष्ठ-23 नियम-32(4), पृष्ठ-23 नियम-33, पृष्ठ-23 नियम-35 स्पष्टीकरण—(2), पृष्ठ-25 नियम-37 (1), पृष्ठ-25 नियम-38 (3), पृष्ठ-25 नियम-39 पर भी “बाजार दर” या “बाजार दर की दुगुनी दर” लिखा है, उसे “दंडिक दर” से प्रतिस्थापित किया जाय.

लक्ष्मीकान्त द्विवेदी, उपसचिव.